Rs.5 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(12M)

भूमि ग्राम मांडव तह.व जिला धार

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

R-832-PBR/14

सुखराम पिता पुनिया उर्फ पुनमचदं भील,
निवासी-ग्राम मांडव तह.व जिला धार

दिनांक 7-3-14 को
श्री बी. गुप्ता अभि०
द्वारा प्रस्तुत।

7-3-14
A.S.O

.............निगरानीकर्ता

बनाम

1- श्रीमती लीलाबाई पति पुनमचंद भील, आयु 55 वर्ष
2- राजु पिता पुनमचंद आयु वयस्क
3- आनंद पिता पुनमचंद आयु वयस्क
सभी का धंधा नौकरी, सभी निवासीयान - ग्राम मांडव
तहसील व जिला धार म0प्र0

.........विपक्षीगण

7-3-14

निगरानी अर्ज धारा 50 भू.रां.सं. के संशोधित प्रावधान अनुसार " यह निगरानी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, धार राजस्व क्षेत्र धार के रा.प्र.क्र. 34/अपील/2011-12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06/02/2014 से असंतुष्ठ होकर प्रस्तुत की गई हैं। "

मान्यवर महोदय,

सेवा में, निगरानीकर्ता तर्फे अत्यन्त नम्रता से निवेदन है कि :-

- प्रकरण के तथ्य -

1. यहकि ग्राम मांडव तहसील धार में स्थित भूमि सर्वे नंबर 582, 583, 584, 585, 586, 588, 593, 1056, 1057, 1136, कुल सर्वे नंबर 10 कुल रकबा 4.312 हे. भूमि स्थित हैं जो निगरानीकर्ता के बाप दादा के जमाने की होकर निगरानीकर्ता के पिता पुनिया थे तथा पुनिया का एक भाई मडिया था दोनों भाईयों मे गहरा प्रेमभाव था और उक्त भूमि पर दोनों भाईयों को बराबर बराबर हक हिस्सा व कब्जा था।

2. यहकि, मडिया अपने भाई पुनिया से बहुत अधिक प्रेम करते थे इस

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 832-पीबीआर/2014 जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।** **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	